न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 3/2012 (75 राज0 भू राजस्व अधिनियम) (R.C.M.S . no 2012/00017)

मानसिंह पुत्र श्री चिरंजी जाति जाट निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. फूलसिंह
2. अशोक
3. मल्हू

पिस0 गंगासहाय जाति जाट निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट्स

4. रामस्वरूप पुत्र तोतासिंह जाति जाट निवासी दांतलौठी तहसील डीग जिला भरतपुर।
5. सुमित्रा वेवा पूरनसिंह (मृतक)
   5/1 पूरनसिंह पुत्र तोतासिंह (मृतक)
   5/2 केदार
   5/3 राजवीर
   5/4 किशनसिंह

   पिसरान पूरनसिंह जाति जाट निवासी दांतलौठी तहसील डीग जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी डीग दिनांक 3.10.1989 उनवानी गंगासहाय बनाम राज0 सरकार मि0सं0 590/89 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट

नि_र्ण य

दिनांकः 29.5.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय दिनांक 3.10.1989 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रैस्पो0 संख्या 3 ने एक प्रार्थना पत्र एसडीओ डीग के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वह खसरा नम्बर 1251/0.09, 1252/1.12, 1253/1.12, 1254/2.16, 1244/2.06, 1245/0.05, वाकै ग्राम जनूथर के निस्फ निस्फ के खातेदार थे हाल बन्दोबस्त द्वारा सावक खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बर 429/0.35, 430/1.11 बनाकर प्रार्थीगण का इन्द्राज किया है जो सावक रकबा 11 बीघा (1.76) के मुकाबले 1.46 पर इन्द्राज आया जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.30 ऐयर रकबा साविक रकबे से कम है। अतः प्रार्थी के साविक रकबे के अनुसार हाल रकबे की पूर्ति की जावे। उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा नियमानुसार तहसीलदार/पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई बाद कार्यवाही उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.1989 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा हाल खसरा नम्बर 425/0.47 के हिस्सा 16/47 व खसरा नम्बर 424/0.44 के हिस्सा 13/44 वाकै जनूथर पर प्रार्थीगण गंगासहाय पुत्र जैसी व मल्हू पुत्र गंगासहाय जाति जाट निवासी जनूथर को व हिस्सा बराबर का दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। तथा खसरा नम्बर 425/0.47 के शेष हिस्सा 31/47 व खसरा नम्बर 424/0.44 के शेष हिस्सा 31/44 पर वर्तमान इन्द्राज यथावत रखा जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 3.10.1989 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता व रैस्पो0 संख्या 3 ने एक प्रार्थनापत्र एसडीओ डीग के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 1251,1252,1253,1254,1244,1245 कुल किता 6 रकबा 11 बीघा वाकै ग्राम जनूथर में स्थित है जिससे हाल खसरा नम्बर 429/0.35, व 430/1.11 कुल किता–2 रकबा 1.46 है0 निर्मित किये है। साविक नम्बरों के हिसाब से प्रार्थी के हिस्से में 1.76 है0 रकबा आना चाहिऐ था जो ना आकर 1.46 है0 आया है। अतः प्रार्थी के बकाया रकबे की पूर्ति की जाये । इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार व पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई। जिन्हौने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण का कम किया गया रकबा अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्टान के खसरा नम्बर 425/0.47 में सम्मलित कर दिया है। इस 425/0.47 में 16 ऐयर रकबा कम कर प्रार्थीगण को दिया जाकर उनकी कम रकबे की पूर्ति की जा सकती है। एसडीओ डीग ने बिना अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का मौका दिये अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 425/0.47 में से 16 ऐयर पर प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित कर दिया। जो उचित नहीं है। तहसीलदार से रिपोर्ट तलब किये जाने के बाद अपीलान्ट को तहत अदालत ने कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया है। जबकि 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही में उभयपक्ष को सुना जाकर ही निर्णय किया जाना चाहिऐ था। तहसीलदार की रिपोर्ट में एक तरफ तो हाल खसरा नम्बर 425/0.47 को सविक खसरा नम्बर 1245 व 1244 से निर्मित बताया है वही दूसरी ओर उसी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 425/0.47 को साविक खसरा नम्बर 1247 व 1244 से निर्मित बताया है । इस प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट पर विश्वास करके एसडीओ डीग ने बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय है। तहसीलदार डीग ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के दो साविक खसरा नम्बर 1247 व 1244 के रकबे का जिक्र करके व उनकी तुलना हा खसरा नम्बर 425/0.47 से करके अपीलान्ट के हिस्से में अधिक रकबा आना दर्ज कर दिया है जबकि अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट इन खसरा नम्बर के अतिरिक्त अन्य साविक खसरा नम्बर 1245,1142,1143,1146,1148 के

भी खातेदार थे। इन साविक नम्बरों से कौन से नवीन नम्बर निर्मित हुये सभी नम्बरों को मिला कर क्या अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट पर रकबा अधिक आया है। इस बाबत तहसीलदार डीग ने कोई रिपोर्ट नहीं की है। तहसीलदार द्वारा आधी अधूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। जिस पर विश्वास करके तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.89 पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी इसकी जानकारी जरिये पटवारी दिनांक 30.11.2011 को हुई। तदोपरान्त दिनांक 1.12.2011 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक 1.12.2011 को नकल प्राप्त हुई। तुरन्त अपील की तैयारी कर बिना देरी अपील पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.10.89 निरस्त किया जावे ।

रैस्पोडेन्ट्स की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। यह प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा बाद कार्यवाही पक्षकार के कम हुये रकबा को दुरूस्त किया गया है। इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। अपीलान्ट का यह कहना कि 136 की कार्यवाही में खातेदार घोषित किया गया है उचित नहीं है क्यों कि यहां खातेदार घोषित न किया जाकर रैस्पोडेन्टस के कम हुये रकबे की पूर्ति की गई है। तहत अदालत ने बकायदा पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट तलब की गई है साथ ही संबधित गत व हाल राजस्व रिकार्ड से मिलान किया गया है। रिपोर्ट में अंकित किया है कि रैस्पोडेन्टस के गत के मुकाबले 29 ऐयर कम आये रकबे की पूर्ति हाल खसरा नमबर 425/0.47 मानसिह आदि के रकबे से 0.16 ऐयर व हाल खसरा नम्बर 424/0.44 सिवायचक लगानी से 0.13 ऐयर (चूंकि ये दोनो रकबे गत के मुकाबले वेशी पाये गये है) की जा सकती है। 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत दौराने मौका मुआयना अथवा पैमायश किसी का रकबा बढा हुआ पाया जाता है और जो कम हुये रकबे के समीप हो तो रकबे की पूर्ति उसी बढे हुये रकबे से किया जाना मुनासिब रहता है। इस प्रकार इस तहसीलदार की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि ''.....प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट का गत के मुकाबले 29 ऐयर रकबा कम आया है। साविक खसरा नम्बर 1247/1.09 व 1244/0.10 से हाल खसरा नम्बर 425/0.47 बनाया है जिसमें 16 ऐयर रकबा वेशी आया है। एवं हाल खसरा नम्बर 424/0.44 सिवायचक लगानी जो प्रार्थीयान की आराजी से सटा हुआ है इस नम्बर में भी 0.13 ऐयर रकबा प्रार्थीयान का सम्मलित कर दिया है । अतः प्रार्थीयान के खसरा नम्बर 425/0.47 से 16 ऐयर एव 424/0.44 से 13 ऐयर रकबा कर प्रार्थीयान अर्थात रैस्पोडेन्टस असल के खसरा नम्बर 430/1.11 में बढाया जाना उचित है.....'' ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा अपने दायित्वों का पालन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है इसके अलावा वकील अपीलान्ट की ओर से भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या कोई अतिरिक्त कथन/तथ्य पेश अदालत हाजा के समक्ष नहीं किया गया कि जिससे यह माना जा सके कि दौराने बन्दोवस्त कार्यवाही प्रार्थी/रैस्पोडेन्टस का रकबा गत के मुकाबले कम नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का रकबा गत के मुकाबले वेशी नहीं आया हो जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं माना जा सके। जबकि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट को विधिक रूप से सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी डीग का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.1989 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2019 सरे इजलास सुनाया गया ।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy - Not Official